रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226327
CG-DL-E-01042021-226327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 179] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 228(अ).—जन सहयोग मंच बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ओ.ए. सं. 477/2015 में माननीय हरित अधिकरण के निर्णय तारीख 25 मई, 2017 में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, (i) यदि संबंधित अभिकरणों से अपेक्षित हो, आज से चार मास के भीतर पीवीसी पाइपों में प्रयुक्त होने वाले सीसा के गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करने; (ii) बीआईएस के परामर्श से, पीवीसी पाइपों में सीसे की उपस्थिति के लिए मानक अधिकथित करने और (iii) पीवीसी पाइपों में स्टेबलाइजर के रूप में सीसे के प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने हेतु, निदेशित किया;

और, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उप नियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (viii) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों को, जिनके अन्तर्गत वे संगठन या उद्योग भी हैं जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, सूचित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 651(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रारुप नियम प्रकाशित किए और यह सूचना दी गई कि उक्त प्रारुप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 13 सितम्बर, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.835(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2019 द्वारा उक्त लागू नियमों का एक शुद्धि पत्र भी जारी किया था तथा उक्त शुद्धि पत्र जनसाधारण को तारीख 11 नवम्बर, 2019 को उपलब्ध कराया गया;

और, ऊपर वर्णित प्रारुप नियमों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोलिविनायल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंगों में सीसा स्टेबिलाइजर नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से छह मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. सीसा या सीसा समिश्रण के उपयोग का प्रतिषेध – (1) अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग में आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक के लिए यथानिर्दिष्ट सीमा निकालने की सीमा के अनुपालन को, जैसा उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उपबंधित है, सुनिश्चित करेगा ।

(2) विनिर्माता,-

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची 2 की स्कीम 1 के अनुसार इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा ;

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में उपबंधित विनिर्देश के अनुसार सभी पीवीसी पाइप और फिटिंग पर "मानक चिह्न" उत्कीर्ण करेगा ।

(3) पीवीसी पाइप और फिटिंग का विनिर्माता, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट तारीख से, देश में व्यापार के लिए अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा उपबंधित ऐसे पीवीसी पाइप और फिटिंग के विनिर्माण में स्टेबलाइजर के रूप में सीसे के उपयोग या सीसा समिश्रण का प्रतिषेध करेगा ।

(4) पीवीसी पाइप और फिटिंग का कोई भी आयातक, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात्, अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मदों के लिए स्टेबिलाइजर के रूप में सीसा समिश्रण प्रयोग करके विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे पीवीसी पाइपों का आयात करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

3. नोडल अभिकरण-(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित और प्रवृत्त करने के लिए संबंधित राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में नोडल अभिकरण होगा ।

(2) इन नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रत्येक विवाद या मुद्दा नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए और इन नियमों से संबंधित किसी विवाद या मुद्दे के निराकरण के लिए नोडल अभिकरण द्वारा एक पैनल गठित किया जा सकेगा ।

4. उत्पादों के परीक्षण के लिए प्राधिकृत अभिकरण-(1) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं ऐसे परीक्षणों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत होगी, जो नियम 2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

IndiaCode

(2) अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग के अधीन आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग के सभी विनिर्माता और आयातक, नियम 2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पीवीसी पाइप और फिटिंग को परीक्षण के लिए उप नियम (1) में यथानिर्दिष्ट प्रयोगशाला के सामने प्रस्तुत करेंगे ।

(3) प्रत्येक निर्माता और आयातक नोडल अभिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो को परीक्षण रिपोर्टें, यथा अपेक्षित सत्यापन, और किसी कार्रवाई के लिए, प्रस्तुत करेंगे ।

(4) नोडल अभिकरण प्रत्येक छह मास में इन नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत करेगा ।

5. विक्रय, आयात और निर्यात – अनुसूची के प्रवर्ग क, ख, और ग में आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग का विक्रय और निर्यात, आयात के सिवाय, इस अधिसूचना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-18011/77/2015-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

अनुसूची

(नियम 2, और 5 देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पीवीसी पाइप और फिटिंग तथा तत्स्थानी भारतीय मानकों की सूची

क्रम सं.	भारतीय मानक संख्या और शीर्षक [i]	अधिसूचना की तारीख को सीसा निष्कर्षण की सीमा	प्रतिषेध के लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रवर्ग क : पेयजल प्रदाय के लिए पीवीसी और फिटिंग का उपयोग			
क.1	आईएस 4985: 2021 का प्रकार क : जल प्रदाय के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप-विनिर्देश (चौथा पुनरीक्षण	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात्
क.2.	आईएस 12818 : 2010 बौर/ट्यूबबैल के लिए अप्लास्टीकृत पोलीनिनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) आवरण और खोल विनिर्देश (दूसरा पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क.3.	आईएस 15778 : 2007 पेय गर्म और ठंडे जल प्रदाय के लिए कलोरीनेटिड पोलीविनायल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप – विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क.4.	आईएस 16647 : 2017 जल प्रदाय के लिए उन्मुख अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-ओ) – विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क.5.	आईएस 10124 (भाग 1 से 13) : 2009 पेयजल प्रदाय के लिए गढ़ा हुआ पीवीसी-यू फिटिंग-विनिर्देश (दूसरा पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
क.6.	आईएस 7834 (भाग 1 से 8) : 1987 जल प्रदाय के लिए विलायक सीमेंट जोड़ के साथ सांचे में ढला हुआ पीवीसी साकेट फिटिंग डालने हेतु विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-

प्रवर्ग ख : कृषि में और कृषि पंप तथा वर्षा जल प्रणाली की लाइनों के चूषण और वितरण में पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
ख.1.	आईएस 4985 : 2021 का प्रकार ख : जल प्रदाय और कृषि के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप विनिर्देश (चौथा पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात्
ख.2.	आईएस 12231 : 1987 कृषि पंप सेट के चूषण और वितरण में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप हेतु विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख. 3.	आईएस 13593 : 1992 कृषि पंप सेट के चूषण और वितरण में यूपीवीसी पाइप के साथ प्रयोग होने वाले यूपीवीसी पाइप फिटिंग के लिए विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख.4.	आईएस 15265 : 2003 कृषि पंप सेट के चूषण और वितरण लाइनों के लिए लचीले पीवीसी पाइप पोलीमर सुदृढ़ थर्मो प्लास्टिक हौज-विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख.5.	आईएस 13592 : 2013 भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और अपशिष्ट निस्सारण प्रणाली हेतु अप्लास्टीकृत क्लोरीनेटिड पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) पाइप – विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ख.6.	आईएस 14735 : 1999 भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मृदा और अपशिष्ट निस्सारण प्रणाली हेतु सांचे में ढले हुए फिटिंग के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) – विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
प्रवर्ग ग : जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के लिए पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
ग.1.	आईएस 9271 : 2004 जल निकासी के लिए एकल वाल नलीदार पाइप अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) पाइप विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण)	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ग.2.	आईएस 15328 : 2003 भूमिगत जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत गैर दबाव पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) विनिर्देश	1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	-यथोक्त-
ग.3.	आईएस 16098 (भाग 1) : 2013	1 पीपीएम (प्रथम	-यथोक्त-

indiacode

	संरचनाबद्ध – गैर दबाव जल निकासी और सीवरेज के लिए वाल प्लास्टिक पाइप प्रणाली – विनिर्देश : भाग 1 पाइप और फिटिंग के साथ चिकनी बाह्य सतह, प्रकार क	निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण)	

[i] भारतीय मानकों का अद्यतन संस्करण, जिसमें इसके जारी किए गए संशोधन भी हैं, जो समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित किए गए, ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 228(E).—Whereas, the Hon'ble National Green Tribunal's judgement dated the 25th May, 2017 in O.A. No. 477/2015 in the matter of Jan Sahyog Manch Vs. Union of India and Others directed Secretary, MoEF&CC (i) To notify, if required with concerned agencies the quality standards of lead to be used for PVC pipes within four months from today; (ii) To lay down the standards for presence of lead in PVC pipes, in consultation with BIS and (iii) To draw up a programme for phasing out of lead as stabilizer in PVC pipes;

And whereas, the Central Government had in exercise of its powers under sub-section (1) of section 3, clause (viii) of sub-section (2) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, published the draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 651(E), dated the 12th September, 2019 for information of all persons including organisations or industries likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 13th September, 2019;

And whereas, the Central Government had also issued a corrigendum to the said draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 835(E), dated the 7th November, 2019 and the said corrigendum was made available to the public on the 11th November, 2019;

And whereas, the suggestions or objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 and section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Lead Stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes and Fittings Rules, 2021.

(2) They shall come into force six months after the date of their publication in the Official Gazette.

2. Prohibition of use of lead or lead compounds.—(1) Every manufacturer and importer, of thePVC pipes and fittings falling in category A, B and C of the Schedule, shall ensure to comply with the limits of the lead extraction, as specified for the Indian Standards by the Bureau of Indian Standards (BIS) and the same is provided in column (3) of the said Schedule.

(2) The manufacturer shall,-

(i) obtain a licence from the Bureau of Indian Standards within a period of six months from the date of publication of these rules in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018;

(ii) mark the "Standard Mark" on all the PVC pipes and fittings in accordance with the specification provided in the licence issued by the Bureau of Indian Standards.

(3) The manufacturer of PVC pipes and fittings shall be prohibited to use lead or lead compounds as stabilizer in manufacturing of such PVC pipes and fittings as provided in column (2) of the Schedule for trade in the country, from the date as specified in column (4) of the said Schedule.

(4) No importer of the PVC pipes and fittings shall be allowed to import such PVC pipes and fittings manufactured using lead or lead compounds as stabilizer for the items specified in column (2) of the Schedule after expiry of three months from the date of publication of these rules.

3. Nodal agency.—(1) The State Pollution Control Board (SPCB) and Pollution Control Committee (PCC) concerned shall be the Nodal Agency for implementation and enforcement of the provisions of these rules in their respective State or Union Territories.

(2) Every dispute or issue relating to the implementation of these rules shall be referred to the Nodal Agency.

(3) A Panel may be constituted by the Nodal Agency for the purpose of implementation of these rules and to resolve any dispute or issue relating to these rules.

4. Authorised agencies for testing of products.—(1) The Laboratories of the BIS and the Laboratories approved by the BIS shall be authorised to carry out such tests as are necessary to ascertain the compliance of rule 2.

(2) Every manufacturer and importer of the PVC pipes and fittings, falling under Category A, B and C in the Schedule, shall produce such PVC pipes and fittings for testing before the laboratories as specified in sub-rule (1), to ensure the compliance of rule 2.

(3) Every manufacturer and importer shall submit the test reports to the Nodal Agency and the BIS for verification and any action, as may be required.

(4) The Nodal Agency shall furnish a comprehensive report on the status of implementation and enforcement of the provisions of these rules to the Central Pollution Control Board (CPCB) in every six months.

5. Sale, import and export.—Sale and import of the PVC Pipes and Fittings falling under category A, B and C in the Schedule shall be regulated through this notification, except export.

[F. No. Q-18011/77/2015-CPA]
NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

IndiaCode

SCHEDULE
(See rules 2 and 5)

LIST OF PVC PIPES AND FITTINGS AND CORRESPONDING INDIAN STANDARDS PUBLISHED BY THE BIS

Sl. No.	Indian Standard No. and Title[i]	Lead extraction limits as on date of notification	Date of application of prohibition
(1)	(2)	(3)	(4)
CATEGORY A: Use of PVC Pipes and Fittings for Potable Water Supply			
A. 1.	Type A of IS 4985:2021 Unplasticized PVC pipes for water supplies - Specification (*fourth revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After one year from the date of publication of these rules
A. 2.	IS 12818:2010 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) screen and casing pipes for bore/tubewells - Specification (*second revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 3.	IS 15778:2007 Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes for potable hot and cold water distribution supplies – Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 4.	IS 16647:2017 Oriented unplasticized polyvinyl chloride (PVC-O) pipes for water supply - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 5.	IS 10124 (Parts 1 to 13):2009 Fabricated PVC-U fittings for potable water supplies Specification (*second revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
A. 6.	IS 7834(Parts 1 to 8):1987 Specification for injection moulded PVC socket fittings with solvent cement joints for water supplies (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
CATEGORY B: Use of PVC Pipes and Fittings in Agriculture and in Suction and Delivery Lines of Agricultural Pumps and Rain Water Systems			
(1)	(2)	(3)	(4)
B. 1.	Type B of IS 4985:2021 Unplasticized PVC pipes for water supplies - Specification (*fourth revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After three years from the date of publication of these rules
B. 2.	IS 12231:1987 Specification for unplasticized PVC pipes for use in suction and delivery lines of agricultural pump sets	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-

IndiaCode

B. 3.	IS 13593:1992 Specification for UPVC pipe fittings to be used with the UPVC pipes in the suction and delivery lines of agricultural pumps	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 4.	IS 15265:2003 Flexible PVC pipes polymer reinforced thermoplastic hoses for suction and delivery lines of agricultural pumps - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 5.	IS 13592:2013 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for soil and discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system – Specification (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
B. 6.	IS 14735:1999 Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) injection moulded fittings for soil and waste discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
CATEGORY C: Use of PVC Pipes and Fittings for Drainage and Sewarage System			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
C. 1.	IS 9271:2004 Unplasticized polyvinyl chloride UPVC single wall corrugated pipes for drainage - Specification (*first revision*)	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	After four years from the date of publication of these rules
C. 2.	IS 15328:2003 Unplasticized non-pressure polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for use in underground drainage and sewerage system - Specification	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-
C. 3.	IS 16098(Part 1):2013 Structured - wall plastics piping systems for non- pressure drainage and sewerage – Specification: Part 1 Pipes and fittings with smooth external surface, Type A	1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction)	-Do-

[i] The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.01 13:57:38 +05'30'